न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 100/2025 निर्णय दिनांकः 19.08.2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/203

कालूराम पुत्र केसाराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी –

बनाम

1. अभिषेक पुत्र बजरंगलाल जाति मोदी निवासी मैन बाजार, पुरानी नगरपालिका के पास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 9.86 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। उक्त खेत पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी का था, दिनांक 01.07. 2024 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को वादगत खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 9.86 हैटेयर में से 6323/49300 हिस्सा विक्रय किया था । वादगत खेत का उक्त हिस्सा विक्रय करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से विक्रीत हिस्सा की खातेदारी दर्ज हो गई। परन्तु वादगत खेत प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी में ही चला आ रहा हैं । वादगत खेत का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है ना ही हिस्सा तय हुआ हैं। प्रार्थी ने अपने खेत में ट्यूब वैल का निर्माण करवाने के लिए एक बीघा भूमि रामचन्द्र पुरोहित के नाम से करवाकर उक्त जगह पर ट्यूब वैल निर्माण करवाकर विद्युत कनेक्शन लिया था। प्रार्थी ने अपने खेत में सिचिंत फसल काश्त कर रखी है तथा वादगत खेत पर कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग प्रार्थी का ही चला आ रहा हैं । अप्रार्थी संख्या 1 का वादगत खेत पर कभी भी कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग नही रहा हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 458 में अपना हिस्सा 6323/49300 को विक्रय करने के लिए प्रार्थी से दिनांक 03.06.2025 को आग्रह किया, तब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत के अपने नाम से दर्ज 6323/49300 हिस्सा को विक्रय करने के लिए उक्त हिस्सा की प्रतिफल राशि 8,90,000/– रूपयें तय किये। तब प्रार्थी ने 3,90,000/– रूपयें किस्तो में नकदी अदा कर दिये तथा शेष प्रतिफल की बकाया राशि 5,00,000/–रूपयें विक्रय पत्र पंजीकृत करने के दिन चैक के माध्यम से अदा करने के लिए मौखिक इकरार किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 03.06.2025 को ही वादगत खेत में अपना हिस्सा 6323/49300 हिस्सा का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 10.06.2025 को वादगत खेत में अपने हिस्सा 6323/49300 हिस्सा का विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए उप–पंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में बुलाया, तब प्रार्थी व रामचन्द्र पुरोहित संख्या 3 को लेकर उप पंजीयक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ पर आया व वादगत खेत में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 6323/49300 हिस्सा के विक्रय पत्र तैयार करवाने के लिए 32,500/– रूपयें व 19,500/– रूपयें के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प खरीद किये तथा 11,408/– रूपयें का ईग्रास चालान संख्या 106290438 के जरिये राशि जमा करवायी तथा विक्रय पत्र सम्पूर्ण तैयार होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी व रामचन्द्र पुरोहित को तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ के अन्दर यह कहकर ले गया कि पहले विक्रय पत्र को पंजीकृत करवाने से पूर्व आपके कुछ कागजो पर हस्ताक्षर होगें, प्रार्थी व रामचन्द्र पुरोहित ने अप्रार्थी संख्या 1 की बातो पर विश्वास करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के कहेनुसार कुछ कागजो हस्ताक्षर कर दिये, फिर अप्रार्थी संख्या 1 ने तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ से बाहर कहा कि आप यहां जाओ मुझे तो मेरे हिस्सा की भूमि का विक्रय नही करना था, मैनें तो राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर विभाजन करवाना था, वो मैनें करवा लिया हैं। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को औलमा दिया कि आपने मेरे से 3,90,000/–रूपयें नकद ले लिये और स्टाम्प व चालान के मेरे रूपये लगवा दिये। तब अप्रार्थी संख्या 1 ने धमकी दी कि मैं ना तो आपको 3,90,000/– रूपयें अदा करूगां ना ही खेत को विक्रय करूगां और खेत पर पुनः कब्जा करने की धमकी देकर तहसील कार्यालय से चला गया। तब प्रार्थी ने तुरन्त ही एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने हमे धोखा में रखकर कुछ कागजो पर हस्ताक्षर करवाये है। तब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादी की कोई सुनवायी नही की और धमकी दी कि आपको कोई कार्यवाही करनी है तो न्यायालय के माध्यम से क़रो। वादगत खेत खसरा नम्बर 458 का संयुक्त खातेदार काबिज कृषक है तथा प्रार्थी ने अपनी गाढ़ी कमाई के 3,90,000/– रूपयें अप्रार्थी संख्या 1 को अदा किये हैं। प्रार्थी ने वादगत खेत में सिंचित फसल काश्त कर रखी है, अप्रार्थी संख्या 1 भू–माफिया, बदमाश व चतुर चालक किस्म का व्यक्ति हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा भूमि को प्रार्थी को विक्रय करने की बात को लेकर प्रार्थी को मुगालते में रखकर राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर वादगत खेत के विभाजन के दस्तावेतो पर हस्ताक्षर करवाये हैं। जबकि वादगत खेत के उपरोक्त हिस्सा की कुल प्रतिफल राशि में से 3,90,000/– रूपये नकद अदा कर दिये तथा एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने खाता संख्या 50200083447882 का चैक संख्या 000009 राशि 5,00,000/– रूपयें दिनांक 10.06.2025 का भरकर विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए तहसील कार्यालय आया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को मुगालते में रखकर प्रार्थी को बिना बताये ही विभाजन के कागजो पर हस्ताक्षर करवाये हैं। जबकि वादगत खेत के उपरोक्त हिस्सा कब्जा दिनांक 03.06.2025 को ही अप्रार्थी संख्या 1 से प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा अदा किये हुये 3,90,000/– रूपयें हड़प करने व वादगत खेत के विक्रीत हिस्सा पर पुनः कब्जा करने की धमकी दिनांक 10.06.2025 को दी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व माननीय् न्यायालय के समक्ष उक्त 6323/49300 हिस्सा का विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं । वादगत खेत पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर [illegible] का संयुक्त खातेदार काबिज कृषक है तथा प्रार्थी ने अपनी गाढ़ी कमाई के 3,90,000/–रूपयें अप्रार्थी संख्या 1 को अदा किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हैं । प्रार्थी ने वादगत खेत में सिंचित फसल काश्त कर रखी है, अप्रार्थी संख्या 1 भू–माफिया, बदमाश व चतुर चालक किस्म का व्यक्ति हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा भूमि को प्रार्थी को विक्रय करने की बात को लेकर प्रार्थी को मुगालते में रखकर राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर वादगत खेत के विभाजन के दस्तावेतो पर हस्ताक्षर करवाये हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को दिनांक 10.06.2025 को धमकी दी कि वादगत खेत से तुम्हे बेदखल कर किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर दूंगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। प्रार्थी कृषि पैशा व्यक्ति हैं, वादगत खेत का काबिज खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना हिस्सा प्रार्थी को विक्रय कर विक्रय पत्र के समस्त दस्तावेजात तैयार करवाकर हिस्सा भूमि को विक्रय करने से इन्कार कर दिया हैं तथा प्रार्थी से 3,90,000/– रूपयें नकद प्राप्त कर रखे हैं । वादगत खेत में प्रार्थी ने सिंचित फसल काश्त कर रखी है तथा सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने गलत मंशुबो में सफल हो गया तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 9.8600 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर से प्रार्थी को बेदखल नही करे, फसल को खुर्द बुर्द नही करें, वादी के कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करें। वादगत खेत को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण आदि नही करें तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें, जिससे प्रार्थी वेद हितो पर विपरीत असर पड़ता हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षकारान ने बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा विधि विरूद्ध है जो काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 को अपने खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 9.8600 हैक्टेयर में से उतरी पश्चिमी तरफ का 1.2646 हैक्टेयर भूमि विक्रय की [illegible] किया था जिसके अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र का कब्जा काश्त च[illegible]आ [illegible] है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के अलग अलग सीमाऐं काय[illegible] कायम सीमाओ के अनुसार ही दिनांक 10.06.2025 को आपसी सहमति से विभाजन तहसील श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये र[illegible]टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

को 1.2646 हैक्टेयर भूमि विक्रय करके कब्जा सम्भला दिया था तब से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 1 का अपने खेत पर कब्जा काश्त लगातार कायम है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र द्वारा कब्जा काश्त के अनुसार ही आपसी सहमति से दिनांक 10.06.2025 को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष विभाजन करवाया है । अप्रार्थी संख्या 1 का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त लगातार कायम है उसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना खेत विक्रय करने की कोई बातचीत प्रार्थी से नही हुई । प्रार्थी द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाने के बाद किन्ही व्यक्तियो कें बहकावे में आकर गलत तथ्यो का सहारा लेकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी द्वारा मोखिक इकरारनामा के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है एवं इस न्यायालय को विक्रय पत्र का इकरारनामा का प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकर नही है। वादगत खेत में 1.2646 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी तरफ की भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का कायम है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने एवं इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र दिनांक 10.06.2025 को आपसी सहमति से विभाजन करवाने के लिए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष अपनी मर्जी से उपस्थित हुए है एवं मौके कब्जे एवं काश्त के अनुसार विभाजन पत्र तैयार करवाकर उसमें कायम् नक्शा एवं विभाजन इकरारनामा को हस्ताक्षर करके तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष दिनांक 10.06.2025 को पेश हुए है जिसमें तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा विभाजन पत्र में दशार्यी दिशाओ एवं प्रस्तावित नक्शा के अनुसार विभाजन के लिए सहमत होने के लिए पूछा है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र तहसीलदार के समक्ष सहमत हुए है प्रार्थी पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो हर तरह से समक्ष रखता है प्रार्थी द्वारा विभाजन पूर्णत पढ़कर एवं समझकर किया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य वादगत खेत के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का लेन देन नही हुआ है एवं किसी प्रकार से विक्रय किये जाने की भी बातचीत नही हुई है। प्रार्थी के मन में लालच आने एवं अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि को हडपनें की नियत से लालच में आकर प्रार्थना पत्र को रगत देने के लिए जो दस्तावेज तैयार किये है उनकी कानून में कोई अहमियत नही है प्रार्थी द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाने के कारण विभाजन के विरूद्ध सुनवाई का अधिकार हाजा न्यायालय को नही है प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वादहेतु कारित नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है अप्रार्थी संख्या 1 का अपनी हिस्सा अलग है जिस पर अप्रार्थी सख्या 1 का ही कब्जा काश्त कायम है। प्रार्थी बहुत ही चतुर किस्म का व्यक्ति है जो लालच में आकर प्रार्थना पत्र को रगत देने के लिए यह तथ्य ब्यान किये है जबकि वास्तविकता तो यह है प्रार्थी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो हम दस्तावेज को समझता है प्रार्थी द्वारा [illegible] के लिए खुद ने ही पटवारी हल्का से विभाजन के दस्तावेज तैयार करवाकर विभाजन के लिए तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन करवाया है एवं तहसीलदार [illegible] आपसी सहमति से विभाजन के लिए सहमत हुए है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार के बिना किसी विधिक दस्तावेज के यह

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र झूठ मूठ तथ्यो का वर्णन करके विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के अनुतोष का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। वादगत खेत का विभाजन दिनांक 10.06.2025 को आपसी सहमति से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के मध्य हो चुका है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की राशि अदा नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त कायम है वादगत खेत में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से को विक्रय करने की कोई बातचीत नही हुई है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के मध्य आपसी सहमति से कायम सीमाओ के अनुसार विभाजन किये जाने से प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज योग्य है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आपने खेत में से 1.2646 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी तरफ से दिनांक 01. 07.2024 को विक्रय की है जिसका विभाजन दिनांक 10.06.2025 को आपसी सहमति से करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा मनगढत तथ्यो को वर्णन करके यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है । वादगत खेत का आपसी समति से विभाजन होने एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र को कब्जा काश्त अलग अलग होने के कारण एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विक्रय पत्र को पंजीकृत करवाने के अनुतोष का होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वादहेतु हासिल नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है । प्रार्थी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने सोच समझकर रजामन्दी से वादगत खेत का विभाजन करवाया है। जिसको तहसीलदार द्वारा खातेदारो एवं गवाहो का परीक्षण किया जाकर पूछताछ करके विभाजन पत्र तस्दीक किया है जिसके आधार पर वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के नाम खाता एवं खसरा कायम होने है वादगत खेतो का विभाजन आपसी सहमति से होने एवं प्रतिवादी का अलग हिस्सा कायम होने प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थी का अलग कब्जा काश्त होने एवं खातेदार होने से अप्रार्थी को अपने अधिकारो से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को कारित होगी इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणी क्षति का सिद्वान्त अप्रार्थी के पक्ष में है । प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत में से 1.2645 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी तरफ की भूमि को दिनांक 01.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय की थी। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा संयुक्त होने के कारण हिस्सा के अनुसार ही विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था। तथा प्रार्थी द्वारा जल्द ही सहखातेदार को सहमत करके विभाजन करवाने के लिए कहा था । प्रार्थी का हिस्सा का अलग खसरा नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को अलग करवाने के लिए हाजा न्यायालय में विभाजन का एक प्रार्थना पत्र अभिषेक बनाम कालूराम विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही होने के बाद हाजिर आये है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र विभाजन के लिए सहमत होने पर प्रार्थी द्वारा आपसी सहमति से [illegible] के दस्तावेज पटवारी हल्का से तैयार करवाये एवं दिनांक 10.06.2025 को विभाजन पत्र [illegible] सुलग्न नजरी नक्शा एवं विभाजन के इकरार के अनुसार विभाजन के लिए तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष उपस्थित हुए एवं विभाजन पत्र को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के ब्यान लेकर विभाजन पत्र तस्दीक किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मद संख्या 2 में वर्णित किया है कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन नही हुआ है जबकि वादगत खेत का विभाजन दिनांक 10.06.2025 को आपसी सहमति से धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र की रजामन्दी से हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित किया है कि विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए मौखिक इकरार किया था । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इकरारनामा के आधार पर विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने का है जिसमें सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय का है हाजा न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित किया है अप्रार्थी संख्या 1 ने धोखा में रखकर कुछ कागजो पर हस्ताक्षर करवाये है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई सुनवाई नही की। एवं मद संख्या 7 में वर्णित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा की भूमि को विक्रय करने की बात को लेकर प्रार्थी को मुगालते में रखकर राजस्व कर्मचारियो से सांठ गाठ करके वादगत खेत के विभाजन के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये है। जबकि दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र स्वयं तहसीलदार के समक्ष विभाजन के लिए उपस्थित होकर आपसी सहमति से विभाजन पत्र पेश कर तस्दीक करवाया है। वादगत खेतो का विभाजन पत्र आपसी सहमति से सहखातेदारो के मध्य होने से प्रार्थी को वाद हेतु हासिल नही है। प्रार्थी द्वारा अनुषोष चाहा गया है कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 9.8600 हैक्टेयर वाके रोही तोलियासर में से अप्रार्थी संख्या 1 का 6323/49300 हिस्सा भूमि जो प्रार्थी को विक्रय की गई का विक्रय पत्र पंजीकृत करवाये जाने की घोषणात्मक डिक्री अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व चाही गई है विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने की घोषणा का अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकर नही होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व है। प्रार्थी विभाजन पत्र तस्दीक न करने की घोषणात्मक डिक्री अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व चाही गई है जबकि विभाजन पत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व रामचन्द्र के द्वारा आपसी सहमति से तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है प्रार्थी द्वारा चाही गया अनुतोष नही दिया जा सकता इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन विधि विरूद्व है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इकरारनामा के आधार विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने एवं आपसी सहमति से किये गये विभाजन पत्र को तस्दीक करने से रोके जाने के लिए पेश किया गया है जो दोनो ही अनुतोष हाजा न्यायालय द्वारा नही दिये जा सकते एवं इकरारनामा के अनुसार विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने का जो मुख्य अनुतोष है वह सिविल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है हाजा न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन विधि विरूद्व होने से काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपूरणीय क्षति, प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन नही होने से एवं अप्रार्थी का अपूरणीय क्षति, प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टान्त RBJ (31) 2024 पृष्ठ संख्या 302 से 308, RBJ (31) 2024 पृष्ठ संख्या 361 से 365, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2016(2) Rev. पृष्ठ संख्या 954 से 956 पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। वादगत खसरान भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणात्क डिक्री एवं चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर उक्त वादगत खसरान भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को विक्रय की गई है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.08.25 10:55:09 IST
Reason: SelfAttested